शहीद डोमेश्वर साहू शासकीय महाविद्यालय

जामगांव (आर) भरर,
जिला– दुर्ग (छ.ग.)

Website: www.gcjamgaonr.com
Email: jamgaonrcollege@gmail.com

विवरणिका

(आवेदन पत्र सहित)

शहीद डोमेश्वर साहू शासकीय महाविद्यालय

जामगांव (आर) भरर, जिला– दुर्ग (छ.ग.)

दृष्टिकोण एवं लक्ष्य

वर्तमान समय में जब हम निरंतर परिवर्तित हो रहे विश्व में रह रहे है यह अत्यंत आवश्यक है कि हमारी बौद्धिक सम्पदा एवं नवाचारी ज्ञान में अभिवृद्धि होती रहे, क्योकि यह सिर्फ बौद्धिक सम्पदा ही है, जो मनुष्य और समाज को न सिर्फ शारीरिक, मानसिक एंव वित्तीय रुप से सुदृढ बनाने की क्षमता रखती है, वरन विपरीत परिस्थितियों अपने लक्ष्य तक पहुचने का सम्बल भी देती है। विद्यार्थियों में इस बौद्धिक सम्पदा की वृद्धि करने हेतु हमारा लक्ष्य है :–

1. विद्यार्थियों को श्रेष्ठतम शिक्षा प्रदान करना।
2. विद्यार्थियों में उच्च कोटि की रचनात्मकता एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देना।
3. विद्यार्थियों में कौशल विकास गुणों का सृजन एवं उसे प्रोत्साहन देना।
4. ज्ञान, सहयोग एवं सहभागिता से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में निखार लाना।
5. ऐसा वातावरण निर्मित करना ताकि विद्यार्थी में नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके एवं विद्यार्थी परिवार समाज व राष्ट्र का जिम्मेदार नागरिक बन सकें।
7. विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा स्वच्छता, सामाजिक सरोकार जैसे कार्य में निरंतर सहयोग देना।

प्राचार्य

शहीद डोमेश्वर साहू शासकीय महाविद्यालय

जामगांव (आर) भरर जिला – दुर्ग (छ.ग.)

शहीद डोमेश्वर साहू शासकीय महाविद्यालय, जामगांव (आर)भर

जिला– दुर्ग (छ.ग.)

महाविद्यालय की स्थापना सन् 2011–12 में हुई । छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग ने अपने पत्र क्र. अ.उ.शि./यो./11 रायपुर 23.6.2011 द्वारा कला वाणिज्य एवं विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की। जिसके अंतर्गत संकाय मे रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कला संकाय में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान के साथ वाणिज्य विषय में स्तर पर अध्ययन की व्यवस्था रही।

महाविद्यालय जामगांव (आर) उ.मा. विद्यालय के भवन में सिर्फ 251 छात्र/छात्राओं के साथ प्रारंभ हुआ वर्तमान में 829 छात्र/छात्रायें अध्ययनरत है। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित यह महाविद्यालय हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से संबंध है। वि. वि. के आदेश दिनांक 23.12.2012 के द्वारा विभिन्न कक्षाओं के संचालन हेतु महाविद्यालय की सम्बद्धता प्रदान की । संस्था में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन की व्यवस्था है तथा वि. वि. के नियमों व अधीन परीक्षाएँ संचालित होती है।

शासन की मंशा रही है कि उच्च शिक्षा को दूरस्थ अंचल तक विस्तारित किया जाए, इसी मंशा के अनुरूप क्षेत्रीय जनप्रतिनि एवं क्षेत्र के नागरिकों की सतत् मांग एवं प्रयास को देखते हुए शासन ने इस महाविद्यालय की स्थापना की, निश्चित ही यह महाविद्यालय पाट के जामगांव 34 ब्लाक में उच्च शिक्षा की पूर्ति में अपनी सार्थक भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

दिनांक 4.10.2015 को मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य एवं उच्च शिक्षा मंत्री जी के अध्यक्षता में महाविद्यालय निर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। वर्तमान में यह महाविद्यालय अपने नवीन भवन में संचालित है। उ.शि.वि. के आदेश क्रमांक.38, आउशि/योजना/16, रायपुर दिनांक 17/8/16 के तहत सत्र 2017–18 बीएससी गणित प्रथम वर्ष के कक्षायें संचालित की गई है

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमाक – एफ17–7/18/38–1 अटल नगर रायपुर 6.10.18 के शासकीय महाविद्यालय जामगांव आर भरर का नाम बदल कर शहीद डोमश्वर साहू शासकीय महाविद्यालय जामगांव (आर) भरर किया

1. संकाय एवं विषय

महाविद्यालय में तीन संकाय है। कला, वाणिज्य तथा विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों का निम्नानंसार है –

1.1 कला संकाय –

अ) बी.ए. (भाग– एक,दो,तीन) 200–200 सीट

आधार पाठ्यक्रम (अनिवार्य विषय) 1. हिन्दी भाषा 2. अंग्रेजी भाषा

3. पर्यावरण अध्ययन के साथ निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करना होगा –

1. इतिहास 2. राजनीति शास्त्र 3. भूगोल

ब) बी.ए.भाग – 2 एवं भाग – 3 के छात्र पूर्व में चयनित विषयों का ही अध्ययन करेगें

1.2 वाणिज्य संकाय –

अ) बी.काम भाग – भाग– एक,दो,तीन 60–60 सीट

आधार पाठ्यक्रम 1. हिन्दी भाषा 2. अंग्रेजी भाषा एवं सभी अनिवार्य विषय

(ब) बी.काम भाग 1,2,3 सभी अनिवार्य विषय तथा भाग 3 मे वैकल्पिक विषय (विपणन समूह/ वित्त समूह)

1.3 विज्ञान संकाय –

(अ) बी.एस.सी. (बायो.) (भाग– एक,दो,तीन) 100–100 सीट

आधार पाठ्यक्रम (अनिवार्य विषय) 1. हिन्दी भाषा 2. अंग्रेजी भाषा

रसायन, वनस्पति, जन्तु विज्ञान

(ब) बीएससी (गणित) (भाग– एक,दो,तीन) 60–60 सीटें

आधार पाठ्यक्रम (अनिवार्य विषय) 1. हिन्दी भाषा 2. अंग्रेजी भाषा

रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय/ अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1. प्रयुक्ति

1.1. ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालयअधिनियम के त हत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करें

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :–

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना

महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड /विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें ।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना : –

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति कीअनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश सक्षम होंगे।(स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 1 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय / बो परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थान होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र /पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण– पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पू महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण : –

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्ष में प्रवेश लिया था। उसके पालक का स्थानांतरण "ब"में हो गया इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। अ "ख"ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांत ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेद को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पूनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना –

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुर्नमूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दि संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्ष गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा 12 वी कक्षा में पुर्नमुल्य उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को भी स्थन रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण : –

3.1 महाविद्यालय में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्ट की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में ही दी गई छात्र संख्या सीट के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। य प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित क । तथा उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग के अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें ।

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थि को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय द्व प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित / विषय / वि समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची : –

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रम – पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण – पर प्रवेश दिया गया रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिए।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण – पत्र की मूल प्रति को निर की सील लगाकर अनिवार्य रुप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विल शुल्क रुपये 100/ – अशासकीय मद में अतिरिक्त रुप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण – पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थि में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ. आई. आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने के रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था में अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मू स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से व पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण– पत्र जारी करने के साथ– साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छ रैंगिंग/अनुशासनहीनता / तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राच को प्रेषित करें गे जहां कि छात्र / छात्रा के प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38–1 दिनांक 10.9.2014 अनुसार राज्य शासन एतद् द्व शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014–15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है। पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा : –

(क) छत्तीसगढ़ के मूल / स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी / राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकी कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी राष्ट्रीयकृत बैं कों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिन पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पु त्र / पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दि जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ब) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों, और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्त आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

स. आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण – पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश : –

(क) 10+ 2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संक
विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस. सी. प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रत
।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम / द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमश : द्वितीय / तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रत
सातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश : –

(क) बी. कॉम. / बी. एच. एस–सी. / बी. ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. कॉम. / एम.एच. एस–सी / एम. ए. पूर्व
सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी. एस. सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस–सी / एम. ए. पूर्व नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्र
। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी नियम

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश –

क, स्नातक परीक्षा उर्त्तीण आवेदको को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख, विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को एलएलएम प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ग. एल.एल.बी प्रथम सेमेस्टर एवं एलएलएम प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को क्रमशः एलएलबी द्वितीय एवं एलएलएम
सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर मे भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा मे न्यूनतम अंक सीमा –

क. विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45 प्रतिशत (अनु. जाति / अनसूचित जाति हेत 40 प्रतिशत) होग
स्नातकोत्तर में 55 प्रतिशत प्राप्त आवेदको को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। BARCOUNCIL OF IN
MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश / संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी ह

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्राविधिक की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्र
प्रवेश लेना अनिवार्य है।

2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. नियमों के अनुसार पात्र आवेदको को अगले सेमेस्टर मे प्रावधिक प्रवेश की पात्र

6. समकक्ष परीक्षा

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी. बी. एस. ई.) इंडियन कौं सिल फार सेकेण्डरी एजूकेशन (आई.सी. एस. ई.) त
राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+ 2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+ 2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राच
बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के सदस्य ह
समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ के विश्वविद्यालय की परीक्षा समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (ईशु) को छोड़कर जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम
करते ह किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नही है , कि परिक्षाओं वि.वि. अनुदान आयोग नई दिल्ली के निर्दे शानुसार छत्तीसगढ
उस्मानियां एवं काकतीय विश्वविद्यालय जैसे बी. ए. / बी. काम. डायरेक्ट वन सिटिंग परीक्षाएं मान्य नहीं हैं।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आ
समय– समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं हैं, कि
प्राचार्य सम्ब्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें

6.4 वर्ष 2012 मे प्रवेश प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नात
प ाठ्यक्रमों मे दाखिलो के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना मे समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1–52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल 2014 के

जैसा कि आपको ज्ञात है कि आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएस
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता सरंचना (एनएसक्यूएफ) मे सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्व

को निगमित किया गया है। जैसाकि (एनएसक्यूएफ) में अधिसूचित किया गया है कि यह 1से 10 स्तर तक के प्रमाण–पत्र उपलब्ध करता है
स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्रों से संबद्ध है। वर्ष 2012 में
किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत परीक्षा समस्तुल्य/ समस्तरीय प्रमाण–पत्र प्रदान किये जा रहे है। ऐसे छात्र (एनएसक्यूएफ के स
प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेगें । मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के आशंका जताई
ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक है तथा जिनके पास +2 स्
व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होगें। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्या
अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों मे दाखिला के लिए प्रयास किये जा रहे हो तो उस समय एसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुल
समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये ताकि उन छात्रों को क्षैतिज गत्यात्मकता के लिए सुअवर मिल सकें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश : –

7.1 स्नातक स्तर का बी. ए. / बी. कॉम. / बी. एस. सी– में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय / स्व
महाविद्यालय से प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्
/ स्वाशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों /विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नि
प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये ।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्या
स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम द्वितीय व
परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं / विषय समूह की अ
कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थीयों को निर्धारित प्रारूप एक शपथ पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जा
संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य राज्य के आवे
द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर
निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि कि पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होग

8.1 10+2 तथास्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्
प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम / द्वितीय /तृतीय में पूरक / एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता हो

8.3 विधि स्नातक प्रथम / द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48% पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश
पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 से खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों का अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थ
प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएं : –

9.1 किसी भी महाविद्यालय /विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र / छात्राओं को उसी सं
की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो
आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ– पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उ
प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में
/ अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार / मारपीट करने की गंभीर आरोप हो / चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे
छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले / रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवे

देने के लिए अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जावे। ऐसे छात्र– छ
को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश हेतु आयु सीमा –

(क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में 27 से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयुसीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की परंतु आयु सीमा बंधन में छात्राओं को तीन वर्ष की छूट रहेगी।

(ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार /भारत सरकार के मंत्रालय /कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाअ प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय मे प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है। तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी

(घ) संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्व/ प्रथम सेमेस्टर 27 वर्ष से अधिक अ आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड) विधि संकाय को छोडकर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / विकलांग विद्यार्थियों / महिला आवेदकों के लि सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय / अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्र पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ् यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण : –

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्र प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा।

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित म के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक /स्नातकोत्तर /विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व परीक्षार्थी /स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / भूतपूर्व परीक्षार्थी / ए में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/ स्वाध्यायी विद्यार्थी के क्रम रहेगा

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के प हले उत्तीर्ण, परन्तु 48एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के अ प्रवेश दिया जावे , अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील /जिला में स्थित या आसपास के अ के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय /विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों प न करते हुए उस विषय /विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर / तहसील / जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ आवेदको को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील / जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जायेगा। स रहने पर एवं गुणनुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण वि अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने के स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण

छत्तीसगढ शासन की आरक्षण नीति के अनुरुप निम्नानुसार होगा : –

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अथ

5 क.अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से 32 प्रतिशत सीटे अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षि रहेगी।

ख. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 12 प्रतिशत सीटे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेग

ग. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से 14 प्रतिशत सीटे अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु जहॉ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त जाती है तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरित क्रम में पात्र विद्यार्थियों मे से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहॉ खण्ड क, ख,तथा ग के अधीन आरक्षित सीटे अंति तिथियों पर रिक्त रह जाती है तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियो से भरा जाएगा

12.2 बिन्दु 12.1 के खण्ड क ख तथा के अधीन उपलब्ध सीटो का आरक्षण उर्ध्वाधर रुप से अवधारित किया जायेगा।

2. निःशक्त व्यक्तियों महिलाओं, भूतपूर्व कर्मिको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गो के संबंध में क्षैति आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, त यह बिन्दु 12.1 के खण्ड क ख तथा ग के अधीन यथास्थिति अर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र – पुत्रियों तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रुप से 3% स्थानआरक्षित रहेंगे। निःश आवेदकों को प्राप्तांकों को 10% अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30% स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में र जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटे यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे – स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटे भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के व आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्ध कर प्रवेश दिया जाय तथा न्यूनतम अंक 10 प्रतिशत की प्रदान की जायेगी समय– समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.8 समय – समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जावें।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के नियम के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्यू पी(सी)400/2014 नेशनल लीग सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया है कि We Direct the center and the state Govermment to take steps to treat them as sociaty an educationals Socially backward classes of citizens and extended all kinds of resrvation in case of admission in education institutions and for public appoiments का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. अधिभार

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये प्रदान किया जायेगा , पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परी के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवे पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने / जमा किये जाने वाले प्रमाण– पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधि अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन सी. सी. / एन. एस.एस./ स्काउट् स

स्काउट् स शब्द को स्काउट्स/ गाइड्स/ रेन्जर्स/ रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क) एन. एस. एस. / एन. सी. सी. "ए" सर्टिफिकेट — 02 प्रतिशत

(ख) एन. एस. एस. / एन. सी. सी. "बी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स — 03 प्रतिशत

(ग) "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स — 04 प्रतिशत

(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को — 04 प्रतिशत

(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को — 05 प्रतिशत

(छ) राज्यपाल स्काउट्स — 05 प्रतिशत

(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स — 10 प्रतिशत

(झ) छत्तीसगढ़का सर्वश्रेष्ठ एन. सी. सी. कैडेट — 10 प्रतिशत

(य) ड्यूफ ऑफ एडिन्वर्ग अवार्ड प्राप्त एन. सी. सी. केडेट — 10 प्रतिशत

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचें ज प्रोग्राम एन.सी.सी/एन.एस.एस.के लिये चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को — 15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/ साहित्यक / सांस्कृतिक /क्विज / रुपांकन प्रतियोगिताएं : –

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय वि संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में : –

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अंतसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय वि संगठन द्वारा आयोजित अंतक्षेत्रिय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए. आई. यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत

(ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में : –

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को — 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के म ध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक/ व में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में : –

(क) छत्तीसगढ़ / म. प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ी की टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

136 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के

कैडेट्स तथा औलम्पियाड / एशियाड स्पोर्टस अर्थारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग ल वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि : –

(1) इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तु किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिये उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु वि तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतू पूर्व सत्र के प्रम पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के अर्हकारी परीक्षा में संकाय/ विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थी को उनके प्राप्तांकों से 5 घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक /स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में ए बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विल से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थि को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/ संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक ह

15. शोध छात्र

शासकीय महाविद्यालय में पी–एच.डी. के श ोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/ प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने क स्थिति में सुपर वाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवे के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी–एच.ड निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपाद करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रुप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण– पत्र एवं प्र तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना कार्य चालू रख सक हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषि करेंगे।

16. विशेष : –

16.1 जाली प्रमाण– पत्रों गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश य किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थ का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथव उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जा की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण म अनिवार्य रुप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/ मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भ प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शन सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांत में समय– समय पर परिवर्तन/ संशोधन/ निरसन/ संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

प्रवेश के समय भुगतान किए जाने वाले शुल्क

क.	शासकीय शुल्क		
	पूरे सत्र शिक्षण शुल्क	–	115/–
	स्टेशनरी शुल्क	–	2/–
	प्रयोगशाला शुल्क	–	20/–
	प्रवेश शुल्क	–	3/–
ख.	अशासकीय शुल्क		
1.	सम्मिलित निधि शुल्क	–	20/–
2.	क्रीड़ा शुल्क	–	12/–
3.	स्नेह सम्मेलन शुल्क	–	20/–
4.	परिचय पत्र शुल्क	–	10/–
5.	महाविद्यालय विकास शुल्क	–	10/–
6.	छात्र समिति शुल्क	–	5/–
7.	चिकित्सा शुल्क	–	3/–
8.	निर्धन छात्र सहायता निधि शुल्क	–	5/–
9.	कामन रुम शुल्क	–	5/–
10.	पुस्तकालय शुल्क	–	20/–
11.	विकास शुल्क	–	25/–
12.	रेडक्रास शुल्क	–	25/–
13.	पत्रिका शुल्क	–	40/–
14.	सुरक्षा निधि	–	60/–
ग.	महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्क (स्थानीय परीक्षा)	50/–	
घ.	विश्वविद्यालय शुल्क		
1.	महाविद्यालय शारीरिक कल्याण शुल्क	–	150/–
ड.	सुरक्षा निधि –		
1.	स्नातक स्तर (तीन वर्षो के लिए)	–	60/–

टीप – 1. वि.वि. नामांकन आवेदन छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन भरा जायेगा।

2. इसके अलावा जनभागीदारी शुल्क अलग से देय होगा।

टिप्पणी : –

1. सभी प्रकार के शुल्क में शासन द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है ।
2. प्रवेश मिल जाने के बाद प्रत्येक छात्र/छात्रा को संपूर्ण सत्र के लिए अनिवार्य रूप से शैक्षणिक शुल्क देना होगा। महाविद्यालय में की तिथि अथवा महाविद्यालय छोड़ने की तिथि से इनका कोई संबंध नही है।
3. केवल छ.ग. की किसी अन्य शासकीय संस्था से स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश होने की अवस्था में जितने शिक्षण शुल्क का भुगतान कर चुका है वह उसे पुनः नही देना होगा ऐसे छात्र पूर्व महाविद्यालय से शुल्क का भुगतान करने बाबत् आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
4. किसी भी प्रकार का शुल्क जमा करते समय प्रवेश पत्र एवं परिचयपत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. शिक्षण शुल्क संबंधित रियायतें –

1. राज्य शासन के सेवारत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों के अध्ययन शुल्क में पूर्ण रियायत दी जाती है।
2. राज्य के सेवानिवृत्त तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बच्चों के लिए अध्ययन शुल्क पूर्ण रियायत बरती जायेगी।
3. दो से अधिक भाई/बहन (एक ही परिवार से) महाविद्यालय में एक ही कक्षा में अध्ययन करते है तो उसमें से सबसे बडे को पूर्ण शेष को आधा शिक्षण शुल्क देना होगा।

4. अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क का भुगतान पूर्णतः माफ है। इसके लिए उन्हे जिलाधीश से
अधिकृत स्थानीय अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।ऐसे छात्र/छात्राओं को समय समय पर महाविद्यालय के सूचना फलक
दी गई सूचनाओं का अवलोकन करते रहनाचाहिए। अन्य शुल्क उन्हे पूरा जमा करना होगा, मात्र शिक्षण शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्ति
प्रावधान है।

5. प्रवेश पत्र एवं उपयोग

महाविद्यालय में प्रवेश की सूचना मिलने के साथ ही प्राप्त प्रवेश पत्र मे समस्त देय शुल्कों कापूर्ण विवरण भी रहता है अतः सभी छा
छात्राओं को चाहिए कि वे अपने प्रवेश पत्र सावधानीपूर्वक रखें। छात्र/छात्राओं को प्रत्येक शुल्क का भुगतान करते समय अपना प्रवेश पत्र प्रस्
करना होगा। प्रवेश पत्र प्रस्तुत किए बिना महाविद्यालय द्वाराकोई शुल्क जमा नही होगा। यह विद्यार्थियोंके हित में है कि वे शुल्क का भुगतान क
समय इस बात की जॉच कर ले कि प्रवेश पत्र में संबंधित प्रविष्टियों सही की गई है। प्रवेश पत्र गुम हो जाने की अवस्था में छात्र/छात्राओं को 5.
शुल्क जमा करके परिचय पत्र की दूसरी कापी प्राप्त करनी होगी।

6. परिचय पत्र एवं उपयोग

प्रत्येक छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में प्रवेश देते समय एक परिचय पत्र दिया जायेगा। छात्र/छात्रा को महाविद्यालय में हमेशा
परिचय पत्र अपने पास रखना होगा। मांगे जाने पर परिचय पत्र प्रस्तुत न किये जाने की अवस्था में छात्र/छात्रा को शिक्षक/शरीरिक शिक्षा निर्दे
के द्व ारा कक्षा अथवा महाविद्यालय समारोह में सम्मिलित होने से रोका जा सकता है। परिचय पत्र के लिए आवश्यक दो पासपोर्ट आकार के प
छात्र/छात्राओं को प्रवेश के समय जमा करना होगा। परिचय पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही संबंधित छात्र/छात्राओं को पुस्तकालय से पुस्
निर्गमित की जा सकती है। स्थानांतरणं प्रमाण पत्र अथवा सुरक्षा निधि की वापसी के समय भी परिचय पत्र प्रस्तुत करनाहोगा। परिचय पत्र
जाने की अवस्था में छात्र/छात्राओं को 5.00 शुल्क जमा करके परिचय पत्र की दूसरी कापी प्राप्त करनी होगी।

7. अनुशासन

महाविद्यालय मे किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता एक गंभीर अपराध तथा दण्डनीय अपराध है। इस विषय में तुरंत कार्यवाही
जावेगी। विद्यार्थी से विनम्र एवं अनुशासित रहने की अपेक्षा के साथ उसके लिए कक्षाओं मे सभी विषय में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थि
अनिवार्य होगी तथा वे महाविद्यालय में किसी प्रकार की अभद्रता नही करेगें अन्यथा ऐसे मामले में उनके प ालक को सूचित कर उसे महाविद्याल
निष्कासित भी किया जा सकेगा। ऐसे किसी भी विवाद में प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। महाविद्यालय का अनुशासन हमेश सराह
रहा है। ऐसी आशा की जाती है कि इस परम्परा का भविष्य में भी निर्वाह होगा। विद्यार्थी का आचरण तथा व्यवहार अपने सहपाठियों कर्मचारियों
प्राध्यापकों के साथ अच्छा रहेगा, ऐसी अपेक्षा की जाती है।

8. अनुशासन संबंधी विश्विद्यालय नियम –

मध्यप्रदेश विश्व विद्यालय 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र/छात्रा
महाविद्यालय में अनुशासन भंग किये जाने पर ऐसे छात्र/छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है। अनुशासनही
के लिए उक्त आध्यादेश में निम्नांकित दण्ड का प्रावधान है – (क) निलम्बन (ब) निष्कासन / रेस्टिकेशन
स. विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना

9. रैगिंग एवं दण्ड –

रैगिंग की त्रासदायी प्रताड़ता को स्थायी रूप से रोका जा सके इसलिए महामहिम राज्यपाल के द्वारा 1 सितम्बर 2001 को छत्तीस
शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैंगिक का प्रतिषेध) अध्यादेश 2001 मे जारी किया है। इस अध्यादेश के द्वारा रैगिंग को सज्ञेय तथा गैर जमा
अपराध माना गया है। अध्यादेश में रैगिंग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

क. रैगिंग से अभिप्रेत है किसी छात्र/छात्रा को मजाकपूर्ण व्यवहार से अन्य प्रकार से ऐसा कृत्य करने के लिए उत्प्रेरित, बाध
मजबूर करना, जिससे उसके मानवीय मूल्य का हनन या उसके व्यक्तिगत का अपमान या उपहास अभिदर्शित हो, या उसे अभित्रास, स
अवरोध, सदोष परिरोध या क्षति, या उस पर आपराधिक बल का अभित्रास देते हुए किसी कार्य से प्रविरत करता हो
रैंगिक का अपराध सिद्व पाये जाने पर न्यायालय द्वारा दोषी छात्र/छात्राओं को पॉच वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है तथा उसे संस्
निष्कासित किया जा सकेगाा ऐसे छात्र/छात्रा को किसी भी शिक्षण संस्था में तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश से वंचित भी किया जा सकेगा
अध्यादेश के अंतर्गत प्रताड़ना का प्रकरण अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान के द्वारा अभियुक्त छात्र/छात्रा को निल

करने तथा शैक्षणिक संस्था परिसर तथा उसके छात्रावास में प्रवेश से वंचित करने का भी प्रावधान है। प्रत्येक विद्यार्थी को रैगिंग में भाग संबंधी एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। इन वचन पत्र में छात्रों के अभिभावक के भी हस्ताक्षर होगें ।

रैगिग के अंतर्गत

कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढना भद्दे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रिया–कलापों में र होना, जिससे नए छात्रों को गुस्सा अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो, अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाल अथवा छात्रों से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र/छात्रा सामान्यतया नही कर सकता /सकती है और जिससे उसे शर्म या अपमा अनुभव होता हो, अथवा उसके जीवन के लिए खतरा हो।

छत्तीसगढ़ राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग अधिनियम2001 कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1883 कर्नाटक अधिनिय 1,1995 अनुच्छेद 2 (29) के अनुसार रैगिग की परिभाषा इस प्रकार है –

"किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना जो मानव– म के खिलाफ हो या उसके व्यक्तिगत के विपरित हो या जिससे वह हास्यास्पद हो जाए या डरा–धमकाकर गलत ढंग से रोकर कर गलत ढंग से करके या उसे चोट पहुचाकर या उस पर अनुचित दबाव डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध गलत ढंग से बंदी बनाने, चो अनुचित दबाव का भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना"

रैगिंग का स्वरूप –

रैगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है संपूर्ण नही) में नही पाई जाती है –

स्पष्ट आदेश	रैगिंग में लिप्त होने पर दिए जाने वाले दण्ड
1. सीनियर छात्रों को सर कहने के लिए	1. प्रवेश निरस्त किया जाना
2. सामूहित कवायद करने के लिए	2. कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना
3. सीनियरो को क्लास–नोट्स उतारने के लिए	3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना
4. अनेक सौपे हुए कार्य करने के लिए	4. परीक्षाओं से वंचित करना
5. सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए	5. परीक्षा परिणाम रोकना
6. अश्लील प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने के लिए	6. राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रति
7. नये छात्रों को अपने सीधेपन के विपरित आधात पहुचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए शराब उबलती हुई चाय आदि पीने के बाध्य करना	7. संस्था से रेस्टीकेट/ निकाल किया जाना 8. आर्थिक दण्ड रु. 25000.00 तक

कामुक संकेतार्थ वाले कार्य समलैगिक कार्य सहित करने के लिए बाध्य करना ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना जिससे शारीरिक क्ष मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकी है। नंगा करना, चुंबन लेना, आदि अन्य अश्लीलताएं करना।

उपयुर्क्त से यह विदित होता है कि प्रथम पांच को छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रूपों से युक्त है।

नोट – उपसचिव, उच्चशिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के विज्ञापन क्रमांक 15/2009/38–1 रायपुर दिनांक 03.08.2009 निर्दे शानुसार महाविद्यालय में एंटी रैगिंग तथा एंटी रैगिंग सेल का गठन किया गया है।

10. महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधायें –

1. सूचना एंव मार्गदर्शन केन्द्र

महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के उचित मार्गदर्शन करने के लिए तथा रोजकार संबंधी सूचना देने के लिये सूचना एवं मार्ग दर्शन के की स्थापना की गई है। यह केन्द्र प्राचार्य द्वारा मनोनीत प्राध्यापों /ग्रंथपाल की देखरेख में कार्य करता है।

2. बुक बैंक योजना

महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के लिये बुक बैंक योजना लागू है। इस योजना के अनुसार छात्र/छात्राओं का अध्ययनार्थ पा पुस्तकें दी जाती है। यह योजना योग्य अनुसूचित जाति, अनुसुचित जनजाति एवं निर्धन छात्र/छात्राओं के लिए है। इसके तहत पुस्त उपलब्ध है। छात्र/छात्राओं निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

3. पुस्तकालय

महाविद्यालय मे पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध है ग्रन्थालय द्वारा सीमित अवधि के लिये पुस्तकें निर्गमित की जाती है। पुस्त समय अपना परिचय पत्र एवं पुस्तकालय पत्रक प्रस्तुत करना होता है।

4. पुस्तकालय का सामान्य नियम

1. स्नातक कक्षा के छात्र एक समय मे पुस्तकालय से 14 दिन की अवधि के लिए 2 पुस्तक प्राप्त कर सकते है। प्रत्येक कक्षा निर्धारित दिन एवं समयानुसार पुस्तकालय से पुस्तको का लेन/देन करना होगा।
2. छात्रों को चाहिए कि पुस्तकें निर्गमित कराते समय पुस्तकों का सावधानी पूर्वक निरीक्षण कर लें और पुस्तकों को पृष्ठ कटे/फटे पृष्ठ न होने पर ग्रन्थपाल/सहायक ग्रंथपाल को तत्काल सूचित करन उनके हस्ताक्षर करवा लें ।
3. पुस्तकालय की पुस्तकों में लिखना/रेखांकित करना/ पृष्ठ निकालाना या किसी प्रकार की क्षति पहुँचाना दण्डनीय है।
4. पुस्तकालय से निर्गमित पुस्तकों को परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व वापस किया जाना आवश्यक है किन्तु जिन छात्रों को पुस्तकें लौटानी हो वे अवधान राशि एवं तत्संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पुस्तकें परीक्षा समाप्ति तक अपने पास रख सकते है। अवधान राशि जमा करने पर लौटा दी जावेगी।
5. छात्र/छात्राओं को यह सुझाव दिया जाता है कि पुस्तकालय के सभी नियमों एंव सूचनाओं से स्वतः अवगत होते रहें।

5. स्वास्थय परीक्षण

महाविद्यालय के प्रत्येक नियमित छात्र/ छात्रा को मेडिकल आफिसर के सामने उपस्थित होकर अपना स्वास्थ्य की जॉच होगी। परीक्षण की तिथि एवं समय यथा समय सूचित किया जाता है।

11. सम्मिलित निधि समिति –

शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय की सम्मिलित निधि के नियंत्राण एवं नियमानुसार आबंटन के लिए एक सम्मिलित निधि निधि समिति का गठन किया जाता है , जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी रहते है –

1.	अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष	–	महाविद्यालय के प्राचार्य
2.	सचिव	–	महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक
3.	सदस्य	–	1. प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापक (प्राचार्य द्वारा मनोनीत)
			2. छात्र सदस्य छात्र संघ अध्यक्ष एंव सचिव, खेलकूद कप्ता दो छात्र तथा विभिन्न शैक्षणिक समितियों के अध्यक्ष/ सदस्य होगें

12. अनुशासन समिति –

महाविद्यालय में शांतिपूर्ण अध्ययन अध्यापन एवं विद्यार्थियों में आपसी सामन्जस्य एवं अनुशासन कायम रखनें तथा उ कठिनाइयों को दूर करने में मदद देने और उन्हें हर प्रकार की सहायता देने के लिए प्राध्यापकों की अनुशासन समिति गठित की जाती

13. छात्रवृत्तियॉ/शिष्य वृत्तियॉ

महाविद्यालय शिक्षा संचालय छ.ग. रायपुर द्वारा शासन तथा भारत सरकार की ओर से नियमित विद्यार्थियों को अनेक प्रक छात्रवृत्ति/शिक्षा वृत्तियॉ प्रदान की जाती है । इच्छुक विद्यार्थी पात्रानुसार अपने आवेदन पत्र पर निर्धारित तिथि से पहले पूर्ण महाविद्यालय कार्यालय में जमा कर दें। प्रपत्र जमा करने की निर्धारित तिथि एवं कार्यालय के प्रारुप प्राप्त करने की सूचना महाविद्याल सूचना फलक में लगा दी जायेगी। एक विद्यार्थी कई छात्रवृत्तियॉ के लिए प्रपत्र प्रस्तुत सकता है। परन्तु उसे छात्र वृत्तियों नियमानुसार ए छात्रवृत्ति प्राप्त हो सकती है।

14. महाविद्यालयीन जन–भागीदारी समिति

शासन ने महाविद्यालय के चहुमुखी विकास हेतु नीति निर्धारण करने एवं आय के स्त्रोत खोजने तथा प्राप्त आय के समुचित व्य लिए सुझाव देने एवं नियंत्राण रखने, महाविद्यालय की समस्याओं का निराकरण करने हेतु निर्देश देने आदि के लिए महाविद्यालय जनभागी समिति का गठन किया है। इस समिति के अंतर्गत नामिनित व्यक्तियों का गठन किया गया है उपसमितियों सामान्य परिषद प्रबंध समि वित्त समिति का गठन किया गयाहै। विभिन्न समितियों के प दाधिकारियों के रु प में जन प्रतिनिधि शासन के प्रतिनिधि विश्वविद्याल यूसीजी के प्रतिनिधि, स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि यथा ग्राम पंचायत प्रमुख दानदाता, औद्योगिक संगठन काप्रतिनिधि, अ.जा./अ /पिछडे वर्ग के प्रतिनिधि, महाविद्यालय का प्राचार्य एवं प्राध्यापक प्रतिनिधियों का विभिन्न स्तरों का मनोनयन किया जाता है। समिति क

में कम से कम दो बार बैठक होती। जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर विचारोपरांत निर्णय लिए जाते है।

15. सूचना का अधिकार –

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रावधनिक सूचना निर्धारित शुल्क जमा कर निर्धारित तिथि के भीतर जनसूचन अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

16. शिक्षक –अभिभावक योजना

विद्यार्थीयों की शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन देने तथा उनके समस्याओं के निदान हे छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय में शिक्षक अभिभावक योजना प्रारंभ की गई है।

17. पाठ्येत्तर गतिविधियाँ –

शैक्षणिक पाठ्यक्रम की भांति इस महाविद्यालय में पाठ्येत्तर गतिविधियों का भी संचालन किया जाता है।इस दृष्टि से महाविद्याल में निम्नलिखित व्यवस्थायें है –

1. खेलकूद –

छात्र/छात्राओं के व्यक्तिगत बहुमुखी विकास के ध्येय से इस महाविद्यालय मे खेलकूद की समुचित व्यवस्था की गई है। शासन व ओर से खेलकूद का प्रशिक्षण देने के लिए एक राजपत्रित क्रीडा अधिकारी नियुक्त है। इसके अलावा प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के एक वरि प्राध्यापक को खेलकूद से संबंधित गतिविधियों की देखभाल के लिए क्रीडा समिति के सचिव के रुप में मनोनित किया जाता है। यह समि खेलकूद संबंधी निधि और गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्राण करती है। महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त खेलकूद सुविधाओं इन्डोर एवं आउ डोर का विवरण निम्नांकित है।

1. आउट डोर गेम – क्रिकेट, बैडमिटन, व्हालीबाल, कबड्डी खो–खो एवं एथलेटिक्स
2. इन्डोर गेम – कैरम, शतरंज एवं टेबल टेनिस

2. राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

छात्र/छात्राओं को समाज सेवा तथा जनकल्याण संबंधी कार्यो का प्रशिक्षण देने के ध्येय से इस महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेव योजना भी संचालित है। इसके तहत छात्रों को पढ़ाई के साथ समाज सेवा का अवसर मिलताहै । इस महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजन की एक ईकाई है। जिसमें 50 छात्र को प्रवेश दिया जाता है। इसके द्वारा विद्यार्थी में मिल जुलकर काम करने की प्रवृत्ति विकसित होती । विद्यार्थी रचनात्मक सामाजिक कार्यो में भाग लेताहै, समाज के नागरिकों विशेषकर ग्राम वासियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभि योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जागृत करना होता है सामाजिक बुराई, यथा अशिक्षा, अस्वच्छता, अस्पृस्यता, अंधविश्वास आदि के निराकरण में छात्र की सृजनात्मक शक्ति विकसित होती है।

3. यूथ रेड क्रास सोसायटी –

यूथ रेड क्रास सोसायटी पीडित मानवता की सेवा के उद्देश्य से यूथ रेड क्रास सोसायटी का स्थापना की गई है । महाविद्यालय रेडक्रास सोसायटी के अतिरिक्त रेड रिबन कलर का गठन किया गया है।

4. विज्ञान क्लब

महाविद्यालय में गठित विज्ञान क्लब संबंधी पोस्टर, मॉडल, आलेखों एवं व्याख्यानो का आयोजन किया जाता है।

18. छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों मे प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करन होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय मे आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नही होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपनापूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा। साथ ही महाविद्यालय द्वाराआयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पू सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली गलौच, मारपीट या आग्ने अस्त्रों काप्रयोग नही करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीव

निर्वाह करेगा।

6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित होगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना गंदी बाते लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी की असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
8. वह अपनी मांगो का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नही करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रहेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलो, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नही लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

19. अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी को 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी वह एनसीसी/एनएसएस में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नही होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों कापूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय में न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन संबंधी किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशाला या वाचनालय में पंखे, लाईट, इलेक्ट्रिक फ़िटिंग आदि की तोड फोड करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

20. परीक्षा संबंधी नियम –

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान हाने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्थवस्थता आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक में मेडिकल सार्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने की उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा मे या उसके संबंध मे किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

21. महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया जायेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग मे लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ शैक्षणिक संस्थानों मे प्रताडना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नही करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर, उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय मे प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेगें ।

22. नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता –

1. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में कम से कम 5 में सम्मिलित होना आवश्यक है।
3. एनसीसी कैम्प / एनएसएस कैम्प/ खेलकूद/ राज्य स्तरीय प्रतिस्पधाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जायेगा।
4. उपस्थिति का प्रथम गणना प्रत्येक सत्र में जुलाई से अक्टूबर माह तक की जायेगी।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उसके पालकों को सूचना दी जायेगी।
6. उपस्थिति की द्वितीय गणना जुलाई से 15 फ़रवरी तक मानी जायेगी।
7. उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहने पर विश्वविद्यालीयन परीक्षा मे बैठने की पात्रत्रा नही होगी अथवा विश्वविद्यालीयन अपने स्तर पर